संख्या-40/2022/161 /24-1-22-1042/2021

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2022**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/सौभाग्य योजना के दिनांक 01.07.2017 के उपरान्त के कार्यों हेतु जमा एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त)/अधिशासी निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या– 964 /अधि0नि0 (वित्त)/ विप्र-1/14-15/ आरईसी /02/400 टीसी, दिनांक 05 जुलाई, 2021, 972/अधि0नि0(वित्त)/विप्र-1/14-15/आरईसी/02/400 टीसी, दिनांक 06 जुलाई, 2021, 1016/अधि0नि0(वित्त)/विप्र-1/14-15/आरईसी/02/400 टीसी, दिनांक 15 जुलाई, 2021, 1018/अधि0नि0(वित्त)/विप्र-1/14-15/आरईसी/02/400 टीसी, दिनांक 15 जुलाई, 2021, 1075/अधि0नि0(वित्त)/विप्र-2/14-15/आरईसी/02/400 टीसी, दिनांक 28 जुलाई, 2021, 1083/अधि0नि0(वित्त)/विप्र-2/14-15/आरईसी/02/400 टीसी, दिनांक 28 जुलाई, 2021, 1089/अधि0नि0(वित्त)/विप्र-2/14-15/आरईसी/02/400 टीसी, दिनांक 30 जुलाई, 2021, 1099/अधि0नि0(वित्त)/विप्र-2/14-15/आरईसी/02/400 टीसी, दिनांक 30 जुलाई, 2021, 1137/अधि0नि0(वित्त)/विप्र-2/14-15/आरईसी/02/400 टीसी, दिनांक 04 अगस्त, 2021, 1260/अधि0नि0(वित्त)/विप्र-2/14-15/आरईसी/02/400 टीसी, दिनांक 02 सितम्बर,2021, 1447/अधि0नि0(वित्त)/विप्र-2/14-15/आरईसी/02/400 टीसी, दिनांक 08 अक्टूबर, 2021, एवं 2005/अधि0नि0(वित्त)/विप्र-1/14-15/आरईसी/02/400 टीसी, दिनांक 07 फरवरी, 2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/सौभाग्य योजना के दिनांक 01.07.2017 के उपरान्त के कार्यों हेतु जमा एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4801-06-190-10-30 में प्राविधानित धनराशि रूपये 1500,00,00,000/- (रूपये एक हजार पॉच सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 864,05,72,000 (रुपये आठ सौ चौसठ करोड़ पॉच लाख बहत्तर हजार मात्र) में से धनराशि रूपये 612,82,54,094/- (रूपये छः सौ बारह करोड़ बयासी लाख चौंवन हजार चौरांनवे मात्र) को प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृति कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृति धनराशि का आहरण संलग्नक के अनुसार पूर्वांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन), सौभाग्य योजना (हाउसहोल्ड एवं अतिरिक्त इन्फ्रा के कार्य) एवं दीन दयाल उपाध्याय

http://shasanadesh.up.nic.in

ग्राम ज्योति योजना 11वीं एवं 12वीं योजना में धनराशि रूपये 612,82,54,094/- (रूपये छः सौ बारह करोड़ बयासी लाख चौंवन हजार चौरांनवे मात्र) किया जायेगा।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

4- निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी क्लेम के सापेक्ष दोहरा भुगतान न होने पाये।

5- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्ववीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42 जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखा शीर्षक-'' 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-06-ग्रामीण विद्युतीकरण-190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-10-दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योजि योजना/सौभाग्य योजना हेतु अतिरिक्त इन्फ्रा के दिनांक 01.07.2017 के उपरान्त के कार्यों के सापेक्ष संविदाकारों द्वारा राजकोष में जमा नेट एस0जी0एस0टी0 (इनपुट टैक्स क्रेडिट घटाकर) की डिस्काम्स को प्रतिपूर्ति-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-10-3457 -दस- 2021-22, दिनांक 21 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

<u>संख्या-40/2022/161(1)/24-1-22, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, कोर-4, स्कोप काम्प्लेक्स, 7-लोधी रोड, नई दिल्ली-110003।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
3- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
4- महालेखाकार, (लेखापरीक्षा ।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in